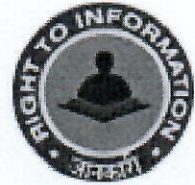




Form A

See Rule 3(1)

Application for Right To InformationApplication No **BR260318000272** (Office Use Only)

To,

Public Information Office
Department : Road and Construction Department

1. Applicant Name : Uday das
2. Address : Shanti Niksundarpur Naya Tola Bela
Darbhanga
District - DARBHANGA Block - None Panchayat - None
Village - None Pin - 846004 State - Bihar

Information Sought

सेवा में, लोक सूचना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (RCD), दरभंगा विषय: बेला गुमटी-बाघ मोड़-बेला मोड़-दरभंगा जंक्शन मार्ग पर फुटपाथ/पैदल सुरक्षा संबंधी सूचना महोदय, उक्त मार्ग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं एयरपोर्ट को जोड़ता है। विभाग द्वारा नाली (drain) को फुटपाथ बताया जाता है, जबकि स्थल पर कई स्थानों (विशेषकर बाघ मोड़-बेला मोड़ एवं बेला मोड़-भंडार चौक) में नाली टूटी, अनुपस्थित या असमान है, तथा चलने योग्य नहीं है। कृपया सूचित करें: 1. क्या नाली को फुटपाथ मानना IRC:103 के अनुसार मान्य है? संबंधित प्रावधान दें। 2. जहाँ नाली नहीं है, वहाँ सुरक्षित फुटपाथ का क्या प्रावधान है? 3. क्या उक्त मार्ग पर IRC:103 अनुसार समतल, न्यूनतम 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ उपलब्ध है? 4. tactile paving (दृष्टिबाधित हेतु) का प्रावधान क्यों नहीं है? 5. क्या कोई pedestrian/accessibility audit हुआ है? प्रति दें।

Reply Remarks

--

I hereby declare that the Information I have asked for is related to your department/office and as per my knowledge it is not exempted under the sections 8 and 9 of RTI Act 2005.

I have paid Rs. 10/- to the Department / Office

Date : 18/03/2026

Applicant's Details

Email Id : udayaldasiitdelhi@gmail.com

Contact : +91-8298828974
No.

Address : Shanti Niksundarpur Naya Tola Bela
Darbhanga
District - DARBHANGA Block - None Panchayat -
None Village - None Pin - 846004 State - Bihar

This is system generated file, need not to be signed

404ms
800ms
19/03/26

- यदि हाँ, तो रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति दें।
- यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

6. दृष्टिबाधित व्यक्तियों हेतु tactile paving (guiding blocks एवं warning blocks) का प्रावधान इस मार्ग पर क्यों नहीं किया गया है, जबकि यह उच्च यातायात एवं सार्वजनिक महत्व का मार्ग है?

- DPR/डिज़ाइन में इसके अभाव के कारणों का अभिलेखीय विवरण दें।

7. कृपया बताएं कि उक्त मार्ग पर वास्तविक, सुरक्षित एवं IRC मानकों के अनुरूप फुटपाथ निर्माण/सुधार के लिए कोई योजना प्रस्तावित है या नहीं।

- यदि हाँ, तो उसकी स्वीकृति, कार्यादेश, लागत एवं समय-सीमा का विवरण दें।
- यदि नहीं, तो इसके अभाव का कारण बताएं।

8. क्या विभाग द्वारा इन खंडों (बाघ मोड़-बेला मोड़-भंडार चौक) का कोई स्थल निरीक्षण (site inspection) किया गया है?

- यदि हाँ, तो निरीक्षण रिपोर्ट/नोटिंग की प्रति उपलब्ध कराएँ।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर स्पष्ट, पूर्ण एवं अभिलेख आधारित सूचना उपलब्ध कराई जाए, ताकि पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सेवा में,
लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग (RCD),
दरभंगा, बिहार

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत—बेला गुमटी जंक्शन से बाघ मोड़, बेला मोड़ होते हुए दरभंगा जंक्शन तक सड़क खंड पर फुटपाथ/पैदल मार्ग की वास्तविक स्थिति एवं IRC मानकों के अनुपालन के संबंध में सूचना

महोदय,

उक्त मार्ग (बेला गुमटी जंक्शन → बाघ मोड़ → बेला मोड़ → दरभंगा जंक्शन) एक अत्यंत महत्वपूर्ण कॉरिडोर है, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं एयरपोर्ट को जोड़ता है। विभाग द्वारा प्रायः यह कहा जाता है कि "नाली (drain) को ही फुटपाथ के रूप में उपयोग किया जा रहा है", जबकि स्थल निरीक्षण में निम्न गंभीर समस्याएँ पाई गई हैं:

- अनेक स्थानों पर नाली (drain) टूटी हुई है
- कई खंडों (विशेषकर बाघ मोड़ से बेला मोड़ एवं बेला मोड़ से भंडार चौक) में नाली मौजूद ही नहीं है
- जहाँ नाली है, वहाँ उसका स्तर असमान (uneven) एवं चलने योग्य (walkable) नहीं है
- नाली पर ढक्कन (cover) नहीं है या आंशिक रूप से टूटा हुआ है, जिससे दुर्घटना का खतरा है

अतः कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट एवं अभिलेख आधारित सूचना प्रदान की जाए:

1. क्या विभाग आधिकारिक रूप से नाली (drain) को ही फुटपाथ (footpath) मानता है?

- यदि हाँ, तो इस संबंध में लागू नियम/दिशानिर्देश (IRC:103 या अन्य) की प्रति उपलब्ध कराएँ।
- यदि नहीं, तो वास्तविक फुटपाथ का प्रावधान कहाँ और किस रूप में किया गया है, इसका विवरण दें।

2. क्या IRC:103 (Guidelines for Pedestrian Facilities) के अनुसार नाली को फुटपाथ के रूप में उपयोग करना मान्य है?

- यदि हाँ, तो उसका तकनीकी आधार/प्रावधान बताएं।
- यदि नहीं, तो यह व्यवस्था किस आधार पर लागू की गई है?

3. बाघ मोड़ से बेला मोड़ तथा बेला मोड़ से भंडार चौक तक जिन स्थानों पर नाली अनुपस्थित है, वहाँ पैदल चलने वालों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग (footpath) का क्या प्रावधान किया गया है?

4. जहाँ नाली को फुटपाथ बताया गया है, वहाँ निम्न मानकों का पालन किया गया है या नहीं:

- समतल एवं चलने योग्य सतह (even, non-slip surface)
 - पर्याप्त चौड़ाई (minimum 1.5 meter)
 - ढक्कन/कवर की मजबूती एवं निरंतरता
 - अवरोध-मुक्त मार्ग (encroachment-free)
- प्रत्येक बिंदु पर अनुपालन की स्थिति एवं संबंधित अभिलेख प्रदान करें।

5. क्या इस सड़क खंड पर किसी प्रकार का Pedestrian Safety Audit या Accessibility Audit कराया गया है, जिसमें इन समस्याओं (टूटी/अनुपस्थित/अनइवन नाली) का उल्लेख हो?

मोती शास्त्री
20/03/26

प्रपत्र 'ड'

(नियम 4 (2) देखें)

अन्य प्राधिकार से संबंधित आवेदन का स्थानान्तरण

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई.डी.सं.-501/25-26 200न(६) पटना, दिनांक-20/3/2026

प्रेषक:

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

निबंधित

लोक सूचना पदाधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय-पटना,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
ब्लॉक-बी, प्रथम तल,
क्लासिकोन्स शिवमित्रा अपार्टमेंट,
विवेकानन्द मार्ग, बोरिंग रोड, पटना,
पिन-800013
लोक सूचना पदाधिकारी,
अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
पथ अचल, दरभंगा,
पथ निर्माण विभाग।

महाशय,

श्री उदय दास का जानकारी सूचना आवेदन संख्या-BR260318000272 दिनांक-18.03.2026 जो इस कोषांग में दिनांक-19.03.2026 को प्राप्त हुआ है, जिसका आई०डी०सं०-501/25-26 है। याचित सूचना आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है।

अतः अधिनियम की धारा-6(3) के अनुपालन में इसे आवश्यक कार्यार्थ आपको स्थानान्तरित किया जाता है। अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक-यथोक्त।

कम्प्यूटरीकृत सिग्नल
पंजीयन सं०.....
दिनांक-.....

विश्वासभाजन

लोक सूचना पदाधिकारी

पटना, दिनांक-20/3/2026

ज्ञापांक:-200न(६)

निबंधित

प्रतिलिपि:- श्री उदय दास, Shanti Niksundarpur Naya Tola Bela Darbhanga, Dist-Darbhanga, Pin-846004, Mob-9939688285 (आवेदक)।

चूँकि माँगी गई सूचना से संबंधित आपका आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, अतः इसे संबंधित क्षेत्राधिकार वाले लोक सूचना पदाधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया गया है। उल्लेखित लोक सूचना पदाधिकारी से संपर्क करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

लोक सूचना पदाधिकारी